कृपया प्रकाशनार्थ **8 सितंबर 2011**

तारापूर अणु ऊर्जा प्रकल्पपीडित मछुआरों को मछुआरी के लिए जगह देने का न्यायालय का आदेश

मुंबई, गुरुवार : तारापूर अणु ऊर्जा प्रकल्प के पीडित पोफरण गाँव के मछुआरों को मछुआरी करने के लिए सागर किनारे जमीन दी जाए, ऐसा आदेश मुंबई उच्च न्यायानय के न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना देसाई व न्यायमूर्ति श्री. राजेश केतकर के खंडपीठ ने आज दिया. तारापूर अणु ऊर्जा प्रकल्पपीडितों ने की रिट अर्जी में उनकी ओर से पूर्व पेट्रोलियम मंत्री श्री. राम नाईक व एड. सचिन पुंडे पेशी रखी, तो महाराष्ट्र सरकार की ओर से एड. नितिन देशपांडे व न्युक्लिअर पॉवर कॉर्पोरेशन की ओर से एड. राजेश कुमार व एड. लोपा मुनिम ने दलिल की.

इस संदर्भ में अधिक जानकारी देते हुए श्री. राम नाईक ने कहा,"तारापूर अणु ऊर्जा प्रकल्प 3 व 4 से 1,080 मैगावैट बिजली का उत्पादन शुरु हो कर अब पाँच वर्ष पूर्ण हुए है. फिर भी इस प्रकल्प के कारण बेघर हुए पोफरण के मछुआरों को अभी भी सागर किनारे जमीन नहीं मिली है. इन मछुआरों का सही ढंग से पुनर्वास करेंगे, ऐसा आश्वासन छः वर्ष पहले 28 फरवरी 2005 को महाराष्ट्र सरकार के एडवोकेट जनरल श्री. थोरात ने न्यायमूर्ति ए.पी. शहा व न्यायमूर्ति एस.सी. धर्माधिकारी के खंडपीठ को दिया था. किंतु वास्तव में इस दिशा में कुछ भी कदम नहीं उठाया गया. मेरे अनुरोध पर 23 दिसंबर 2010 को ठाणे जिलाधिकारी ने इस संदर्भ में मुझसे विचार विमर्श किया. आखीर मछुआरों को पुनर्वास के लिए उन्हें उनभाट में अपनी नांवे लगाने के लिए जमीन देने को सरकार ने हां भर दी. अंतिम निर्णय में देरी न हो इसलिए मैंने खुद 14 दिसंबर 2010, 10 फरवरी 2011 व 5 मार्च 2011 को मुख्यमंत्री श्री. पृथ्वीराज चव्हाण को तीन पत्र लिख कर चर्चा के लिए समय माँगा. 30 दिसंबर 2010 को तो मिल कर चर्चा के लिए समय माँगने के बावजूद भी मुख्यमंत्री ने समय नहीं दिया."

सरकार के इस संवेदनाहीन बर्ताव की ओर श्री. राम नाईक ने आज न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया. न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना देसाई ने अपनी टीपणी में सिर्फ रहने के लिए घर देने से पुनर्वास नहीं होता, प्रकल्पपीडित मछुआरों को मछुआरी के लिए जमीन व आवश्यक सुविधाएं देनी चाहीए ऐसा कहा. महाराष्ट्र सरकार की ओर से एड. नितिन देशपांडे और न्युक्लिअर पॉवर कॉर्पोरेशन की ओर से एड. राजेश कुमार को सुनने के बाद मछुआरों को जमीन देने के संदर्भ जिलाधिकारी ने की जाँच का रपट न्यायालय में पेश किया जाए तथा राज्य सरकार के पुनर्वास सचिव सकारात्मक भूमिका में प्रतिज्ञा पत्र पेश करें ऐसा आदेश न्यायालय के खंडपीठ ने दिया.

अगली सुनवाई 22 सितंबर को होने वाली है.

(कार्यालय मंत्री)